न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

देवाराम पुत्र केसाजी, जाति– कलबी, निवासी– बरलुट, तहसील व जिला–सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार, सिरोही, जिला– सिरोही

राजस्व अपील संख्याः 41/2022

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री रमेश कुमार माली, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 30 नवम्बर, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 32/2022 में पारित निर्णय दिनांक 18.10.2022 से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री रमेश कुमार माली ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। प्रत्यर्थी अपने केस को साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है, विधि का यह सर्वमान्य एवं सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादी अपने पैरों पर खडा हो अर्थात् हल्का पटवारी को अपना केस साबित करना था। अप्रार्थी की कमी या कमजोरी का लाभ प्रार्थी प्राप्त नही कर सकता है। अधीनस्थ न्यायापलय द्वारा दस्तावेजों व रेकर्ड की जांच किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी को जिस खसरा संख्या 311 की भूमि पर अतिक्रमण करना बताया है वह भूमि वास्तव में अपीलार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 398 से लगती हुई जरुर है लेकिन अपीलार्थी ने किसी भी तरह का कब्जा उक्त खसरा संख्या 311 पर नही किया है। अपीलार्थी का कदीमी पक्का रहवास मकान एवं निर्माण स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 398 में बना हुआ है। विवादित भूमि की मौका स्थिति अनुसार वर्तमान में मौके पर बरलुट से कालद्री जाने वाली सडक बिना किसी रुकावट के मौजूद है एवं आमजन का आना जाना एवं यातायात सुचारु रुप से जारी है। प्रश्नगत खसरा संख्या 311 की विवादित भूमि सडक के किनारे एवं अपीलार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 398 के मध्य में आज भी मौके पर बिना किसी अतिक्रमण कब्जे मौजूद के है। उसके उपरान्त भी नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय पारित किया है। मौका स्थिति एवं अपीलान्ट के खातेदारी भूमि के जमाबन्दी एवं दस्तावेजी साक्ष्य हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि हल्का पटवारी, बरलुट द्वारा बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य व मुस्तकिल बिन्दु के उक्त सीमा ज्ञान कर अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित किया है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत [illegible] मौका फर्द पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर मोजूद नही है एवं न ही किसी अन्य स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर मौजूद है जिससे भी यह स्पष्ट है कि उक्त अतिक्रमण [illegible] की कार्यवाही मौके पर

.....पेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:28:13 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

जाकर नही की गई है। विवादित भूमि खसरा संख्या 311 राजस्व ग्राम बरलुट एवं राजस्व ग्राम कालन्द्री की सीमा से लगता हुआ है। राजस्व ग्राम बरलुट का वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी के अनुसार नक्शें से मिलान नही हो पा रहा है अर्थात् जमाबन्दी में जितनी आबादी भूमि ग्राम पंचायत बरलुट के खाते में इन्द्राज है उतनी भूमि राजस्व नक्शें में तरमीम नही है, इस सन्दर्भ में ग्राम बरलुट के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अनुसार नक्शें में भूमि/रकबा तरमीम करवाये जाने के लिये व राजस्व नक्शा शुद्धिकरण करवाने हेतु धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही के न्यायालय में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत की गई है जिसके प्रकरण संख्या 01/2016 है जो अभी न्यायालय में लम्बित है। इससे यह स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम बरलुट के राजस्व रेकर्ड/नक्शें में त्रृटि होने के कारण मौके की स्थिति का सटीक अनुमान वर्तमान रेकर्ड से किया जाना संभव नही है, परन्तु हल्का पटवारी द्वारा पुराने रेकर्ड का अवलोकन किया बिना ही नई जमाबन्दी में गलत इन्द्राज को देखकर अपीलार्थीगण के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सिरोही ने भी रेकर्ड का सही रुप से अवलोकन किये बिना ही केवल हल्का पटवारी, बरलुट की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.10.2022 को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी द्वारा उक्त राजकीय बिलानाम रास्ता भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बनाने व कब्जा करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में हल्का पटवारी, बरलुट द्वारा प्रस्तुत करने पर नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, बरलुट द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2078 में ग्राम बरलुट के खसरा संख्या 311 किस्म गै.मु. रास्ता रकबा 0.08 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण कर मकान व कब्जा करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सिरोही में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थीगण को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया है। चूंकि राजस्व रेकर्ड अनुसार ग्राम बरलुट, पटवार हल्का बरलुट के खसरा संख्या 311 रकबा 0.08 हेक्टेयर भूमि गै.मु. रास्ता भूमि है एवं अपीलार्थी द्वारा गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण किया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खोड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:28:13 IST
Reason: SelfAttested